सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-13.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री प्रकाश वीर, स०वि०स० श्रीमती विभा देवी, स०वि०स० श्री मोहम्मद कामरान, स०वि०स० श्रीमती अरूणा देवी, स०वि०स० श्री राकेश कुमार रौशन, स०वि०स० श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स०	''नवादा जिला अन्तर्गत प्रखंड नवादा में स्थित खूरी नदी से निकलने वाली वारागैनिया पईन जो नवादा मिर्जापुर से ग्राम-गोनवां, अकौना, डोहरा, केना एवं खराट होते हुए नालन्दा के पंचाने नदी में मिलती है, यह पईन मिर्जापुर से खराट तक करीब 7-8 किलोमीटर है । उक्त पईन के दोनों ओर चार-चार मीटर चौड़ी रोड बनवा दी जाए तो सुदूर ग्रामीणों के लिए मुख्यालय से दूरी घट जाएगी । नवादा नगर का सौन्दर्यीकरण के साथ-साथ नगर को पूर्णतः जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी तथा नवादा एवं नालन्दा जिला की दूरी भी कम हो जायेगी एवं दोनों जिलों के लाखों लोगों को राहत मिलेगी । अतः मिर्जापुर से खराट तक पईन के दोनों ओर सड़क का निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	ग्रामीण कार्य

2. श्री ललन कुमार, स०वि०स०
श्री कुंदन कुमार, स०वि०स०
श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स०
श्री राम चन्द्र प्रसाद, स०वि०स०
श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, स०वि०स०
श्री पवन कुमार यादव, स०वि०स०

"बिहार राज्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य मानक के अनुरूप दवा भंडारण की व्यवस्था नहीं रहना चिंताजनक और घोर लापरवाही का मामला है । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दवा भंडारण में तापमान, आर्द्रता नियंत्रण और निगरानी पर काफी जोर दिया है । तापमानों के नियंत्रण के लिए थर्मोस्टेटिक तापमान नियंत्रण प्रणाली का उपयोग छोटे बड़े सभी तरह के दवा भंडारण में अनिवार्य किया गया है । कमरे के भीतर हवा के तापमान को नियंत्रित रखने में नियंत्रण सेन्सर 0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे बेहतर सेन्सर इकाई के इस्तेमाल का दिशा-निर्देश दिया गया है । बिहार राज्य, तापमान में सबसे बड़ी परिवर्त्तनशीलता वाले क्षेत्र में आता है । ऐसे में तापमान नियंत्रण हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों को मानना अनिवार्य है । विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश की अनदेखी से दवाइयों की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । यह मामला पूरे राज्यवासियों के स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है ।

अत: पूरे राज्य में दवा भंडारण के लिए तापमान, आर्द्रता नियंत्रण और निगरानी हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों और थर्मोस्टेटिक तापमान नियंत्रण प्रणाली को कठोरता से लागू करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/2021- 1165 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/2021- 1165 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

12/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

12.3.21